Your Roll No.

6379

LL.B./VI Term

A

Paper LB-6042: NEGOTIABLE INSTRUMENTS, BANKING AND INSURANCE

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:—Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी: - इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt Five questions including Question No. 1 which is compulsory.

All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 सहित कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- 1. Attempt briefly any four of the following:-
 - (a) Difference between bill of Exchange and a cheque
 - (b) Effect of A/C payee crossing

P.T.O.

- (c) Liability of a drawee of a cheque
- (d) Effect of Material alteration of a Negotiable Instrument
- (e) Doctrine of causa proxima
- (f) Sans recourse and partial endorsement

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए:

- (क) विनिमय-पत्र तथा चैक के बीच अन्तर बताइए
- (ख) एकाउन्ट पेयी क्रॉसिंग के परिणाम
- (ग) चैक के आदेशिती के दायित्व
- (घ) परक्राम्य लिखत के तात्विक परिवर्तन के परिणाम
- (ङ) निकट हेतुक का सिद्धान्त
- (च) दायित्वरहित तथा भागिक पृष्ठांकन
- (a) Discuss the essential characteristics of a 'Promissory note' with reference to the relevant provisions of law and decided cases, if any.
 - (b) Are the following Negotiable instruments? Discuss the nature of the instruments, supporting your answer with reasons.
 - (i) "I promise to pay X Rs. 5000/- on the death of Y".

- (ii) "I promise to pay M's son of Rs. 5000/- for value received". (M has three sons).
- (iii) "Mr. B, please let C have Rs. 5000/- and debit it to my account". I shall feel obliged.
- (iv) A writes to B "Please pay X or order Rs. 5000/- sixty days after sight".
- (क) विधि के सुसंगत उपबन्धों और विनिश्चित केसों, यदि कोई हैं, के सन्दर्भ में "वचन-पंत्र" की आवश्यक विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
- (ख) क्या, निम्नलिखित परक्राम्य लिखत हैं ? लिखतों के स्वरूप का विवेचन तकों से पुष्ट करते हुए कीजिए
 - (i) मैं X को Y की मृत्यु पर 5000/- रुपए देने का वचन देता हूं।
 - (ii) मैं प्राप्त मूल्य के वास्ते M के पुत्र को 5000/- रुपए देने का वचन देता हूं (M के तीन पुत्र हैं)।
 - (iii) मि॰ B, कृपया C को 5000/- रुपए दे दीजिए और इनको मेरे लेखे के नामे डाल दीजिए। मैं आभार मानूंगा।
 - (iv) A, B को लिखता है, "कृपया दर्शन के 60 दिन उपरान्त X को अथवा आदेश पर 5000/- रुपए अदा करें।"
- Critically analyse the concept of 'Holder' in the Negotiable Instruments Act, 1881.

-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में "धारक" की संकल्पना का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

- 4. (a) What are the necessary ingredients to be proved by a person to be called a holder in due course?
 - (b) A, by fraud induces B to make a promissory note in his, ie A's favour. A negotiates that promissory note to C, who takes it as a holder in due course. Subsequently, C negotiates the same promissory note to D, who takes it with full knowledge that the title of A was defective.

Can D sue B on the promissory note? Discuss and decide.

- (क) सम्यक अनुक्रम में धारक कहे जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा साबित किए जाने वाली आवश्यक तत्व क्या-क्या होते हैं ?
- (ख) A कपट द्वारा B को अपने पक्ष में वचन-पत्र बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। A उक्त वचन-पत्र का परक्रामण C को करता है जो उसे सम्यक अनुक्रम में धारक के रूप में लेता है। बाद में, C उस वचन-पत्र का परक्रामण D को करता है जो उसे इस पूरी जानकारी के साथ लेता है कि A की हकदारी त्रुटियुक्त थी।

क्या D वचन-पत्र के बारे में B पर वाद चला सकता है ? विवेचन व विनिश्चय कीजिए।

- 5. "Section 131 of the Negotiable Instruments Act, 1881 confers protection to a banker receiving payment of a cheque in case the title of the customer to it is proved defective". Discuss and state the essential requirements for claiming that protection. Describe with the help of judicial precedents the standard of care expected of a collecting banker to enable it to claim such protection".
 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 उस मामले में चैक का भुगतान प्राप्त करने वाले बैंकर को संरक्षण प्रदान करती है जहां इसके बारे में ग्राहक की हकदारी त्रुटियुक्त साबित होती है। "विवेचन कीजिए और उस संरक्षण का दावा करने हेतु आवश्यक अपेक्षाओं का उल्लेख कीजिए। न्यायिक पूर्विनिर्णयों की सहायता से उस सतर्कता मानक का वर्णन कीजिए जिसकी संग्राहक बैंकर से ऐसे संरक्षण की मांग करने की योग्यता पाने के लिए अपेक्षा की जाती है।"
- 6. When is dishonour of a cheque on offence? How can it be prosecuted under the Negotiable Instruments Act, 1881?

चैक का अनादरण कब अपराध बन जाता है ? इस पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत किस प्रकार अभियोग चलाया जा सकता है ?

7. Veena was using premises for residence cum-business got insured his premises against theft from General Insurance Company. The Insurance Co. undertook liability subject to the clause "that the premises are always occupied". One day Veena and his family had to go on a marriage function. During their temporary absence theft was committed. Veena claims the loss under the policy from the insurer. Decide, stating the principles regarding interpretation of an insurance policy with reference to decided cases if any.

वीना अपने परिसर को आवास व कारोबार के लिए उपयोग में ला रही " थी। उसने जनरल इन्थ्यौरेन्स कम्पनी से अपने परिसर का चोरी के विरूद्ध बीमा करा लिया। इन्थ्यौरेन्स कम्पनी ने इस खंड के अध्यधीन दायित्व संभाला, "कि परिसर का सदैव अधिभोग किया जाएगा।" एक दिन वीना और उसके परिवार को विवाह समारोह में जाना पड़ा। उनकी अस्थायी अनुपस्थित के दौरान चोरी कर ली गई। बीना ने बीमाकर्ता से पालिसी के अधीन हानि का दावा किया। विनिश्चित केसों, यदि कोई है, के सन्दर्भ में इन्थ्यौरेन्स पालिसी के निर्वचन सम्बन्धी सिद्धान्तो का उल्लेख करते हुए विनिश्चय कीजिए।

8. The assured, Hunter, had insured his life under a policy issued by the L. I. C. of India on 1st of November 2008 for a sum of Rs. 45000/=. In answer to a question in the proposal form he had stated as follows:

"Have you suffered from mental derangement with in the past three years?

Answer: 'No' whereas in fact he had, though not aware of the fact, been in confinement for mental derangement a year ago".

Hunter died on 1st of March 2011. Sudha, wife of Hunter, claims the amount under the policy as the person entitled to it upon the death of the assured. The L.I.C. of India resists the claim on the ground that the assured, Hunter, concealed the material fact regarding mental derangement at the time of the proposal. How will you decide?

Discuss with reference to the statutory provisions and the judicial precedents on the subject.

बीमित हंटर ने पहली नवम्बर, 2008 को 45000/- हज़ार रुपए की राशि के वास्ते एल. आई. सी. ऑफ इन्डिया द्वारा जारी पालिसी के अन्तर्गत अपने जीवन का बीमा कराया। उसने प्रस्ताव-प्रपत्र में एक प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार उल्लेख किया था:

"क्या आप गत तीन वर्षों के दौरान मानसिक विक्षिप्तता के रोगी हुए हो ?

उत्तर: 'नहीं' जबकि तथ्यत: वह एक वर्ष पूर्व मानसिक विक्षिप्तता हेतु परिरुद्ध हुआ था पर उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी।" हंटर की पहली मार्च, 2011 को मृत्यु हो गई। हंटर की पत्नी सुधा ने पालिसी के अधीन हकदार व्यक्ति होने के नाते बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर राशि की मांग की। एल आई सी. ऑफ इन्डिया ने इस आधार पर दावे का प्रतिरोध किया कि बीमित व्यक्ति हंटर ने प्रस्ताव के समय मानसिक विक्षिप्तता विषयक तात्विक तथ्य को छिपाया था। आप किस प्रकार विनिश्चय करोगे ? इस विषय पर कानूनी उपबन्धों तथा न्यायिक पूर्वनिर्णयों के सन्दर्भ में विवेचन कीजिए।